बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक –वि०प्रा०(।।) व^2–02/2012 (Part-I) – 1031 **/दिनांकः–** 26-3-2019

प्रेषक,

उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक/
राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान।

विषयः– दिनांक– 28.01.2019 को 11:30 बजे पूर्वाह्न माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न द्वितीय राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक की कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंग– राज्य सलाहकार बोर्ड– निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रांक–175 दिनांक–07.02.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विभागान्तर्गत संचालित सभी संस्थानों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने के बिन्दू पर आवश्यक निर्माण कार्य करने हेतु सभी प्राचार्य को संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से संपर्क स्थापित करने के लिए निदेशित किया जाता है।

कृपया तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
25/3/19
उप सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार ,पटना।

Avishek/18.03.19

E-153548
07/03/19

दिनांक - 28.01.2019 को 11:30 बजे पूर्वाह्न माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संपन्न द्वितीय राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:-

1. श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग।
2. श्री तनवीर अख्तर, सदस्य, माननीय विधान परिषद।
3. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग।
4. प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग।
6. प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग।
7. प्रतिनिधि, वित्त विभाग।
8. प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास विभाग।
9. प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग।
10. प्रतिनिधि, उद्योग विभाग।
11. प्रतिनिधि, श्रम संसाधन विभाग।
12. प्रतिनिधि, नगर विकास एवं आवास विभाग।
13. प्रतिनिधि, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।
14. प्रतिनिधि, सूचना प्रावैधिकी विभाग।
15. प्रतिनिधि, कला संस्कृति एवं युवा विभाग।
16. प्रतिनिधि, परिवहन विभाग।
17. प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग।
18. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय।
19. बक्सर जिला के प्रतिनिधि, (सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)।

निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक हेतु आगत माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग एवं बोर्ड के नामित प्रतिनिधि सदस्यों का स्वागत किया गया।

तदुपरान्त माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गई।

2. अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन के उद्देश्य से सभी आगत प्रतिनिधियों को स्मारित कराते हुए अवगत कराया गया कि सरकार को दिव्यांगजनों के हितार्थ सलाह देने के निमित राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं उनके रक्षा हेतु

कानून के रूप में लागू है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार उक्त अधिनियम में प्रावधानित सभी धाराओं का पालन अक्षरतः किया जाना है।

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अंतर्गत गठित राज्य सलाहकार बोर्ड की दिनांक-24.05.2018 को आयोजित प्रथम बैठक की कार्यवाही के आलोक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रथम बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सभी संबंधित विभाग द्वारा कर लिया जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। प्रथम बैठक की समीक्षा के उपरांत सभी विभागों से योजनाओं एवं कार्यो की जानकारी निम्नरूप से ली गई:-

(i) अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 37 के तहत विशेष योजना एवं विकासात्मक कार्यक्रम किये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अतर्गत दिव्यांगजनों (महिला दिव्यांग सहित) को कृषि भूमि और आवसीय भूमि के आवंटन में 5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने की बात कहीं गई है एवं भूमि आवंटन में रियायती दर पर गरीबों को दी जाने वाली भूमि में दिव्यांगजनों के 5 प्रतिशत आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। संबंधित विभाग यथा सामान्य प्रसाशन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अनुपालन किये जाने का निदश दिया गया।

(ii) शिक्षा विभाग:- शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगजनों के नामांकन के लिए 5% का आरक्षण लागू है। निजी विद्यालय में भी दिव्यांगजनों के नामांकन में 5% आरक्षण लागू करने के निमित विचार-विमर्श किया गया तथा शिक्षा विभाग द्वारा इसे क्रियान्वित करने की संभावनों को तलाश करने पर सहमति बनी। माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, श्री तनवीर अख्तर द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित प्रावधान अंतर्गत राज्य के सभी प्राईवेट/पब्लिक स्कूलों में भी दिव्यांगजनों का नामांकन व्यवहारिक रूप से सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा टेक्स्ट बुक (पाठ्य पुस्तक) को भी दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य करने के दृष्टिकोण से हिन्दी के मंगल फॉण्ट का प्रयोग करने पर बल दिया गया।

(iii) स्वास्थ्य विभाग:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड की प्रथम बैठक की कार्यवाही के बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में नामित सभी 21 प्रकार के दिव्यांगताओं

का प्रमाणीकरण हेतु चिकित्सा प्राधिकार की अनिवार्यता पर चर्चा के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, **2016** के तहत निर्धारित दिव्यांगताओं के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के साथ दिनांक-**21.06.2018** को सम्पन्न संयुक्त बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा भी की गई। अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि चिकित्सा प्राधिकार की अधिसूचना स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाना है जिसमें विलम्ब हो रहा है। समाज कल्याण विभाग अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु राज्य में बुनियाद केंद्र एवं बुनियाद संजीवनी सेवा (मोबाईल थेरापी वैन) संचालित है, जिसे चिकित्सा प्राधिकार में नामित कर यथाशीध्र चिकित्सा प्राधिकार अधिसूचित की जाय। अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पूर्व में चिकित्सा प्राधिकार पी0डब्ल्यू0डी0 अधिनियम, **1995** के तहत अधिसूचित है, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, **2016** के तहत अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रथम बैठक में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में दिव्यांगजनों के प्रमाणीकरण के कार्य हेतु अलग से एक कोषांग गठित करने की सहमति का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। दिव्यांगजनों हेतु भारत सरकार की अतिमहत्वकांक्षी यू0डी0आई0डी0 परियोजना अंतर्गत सभी जिलों में दिव्यांगजनों के लिए यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनाने की प्रक्रिया सुनिश्चित किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग के स्तर से सभी सिविल सर्जन को दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की आवश्यकता है।

अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा ऐसे मानसिक रोगी जो उपचार के पश्चात् ठीक हो गये हैं, उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर विमर्श करते हुए सलाह दिया गया कि मानसिक रोगियों हेतु स्थापित कोईलवर हॉस्पिटल में एनेक्सी बनाया जाय जिसमें उनके रहने की व्यवस्था कर उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग परस्पर समन्वय स्थापित करेंगे।

(iv) वित्त विभाग:- प्रथम बैठक के कार्यवाही के अनुपालन हेतु प्रत्येक विभाग के कुल बजट का **4%** बजट राशि दिव्यांगजनों के हितार्थ योजना/कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु बजट राशि आवंटित किये जाने का निदेश दिया गया।

(v) सामान्य प्रशासन विभाग:- प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, **2016** के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में संकल्प द्वारा **4%** क्षैतिज आरक्षण तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के निमित **5%** का आरक्षण प्रदान किया गया है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पद को चिन्हित किये जाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमिटि गठित है। निदेश दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा

राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए सभी विभागों में पद को चिन्हित किया जाय। जिसके पश्चात दिव्यांगजनों के अनुरूप चिन्हित कार्य एवं पद की अधिसूचना जारी किया जाय। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 अंतर्गत कार्य स्थल पर **Resonable Accomodation का प्रावधान किया जाना है।**

(vi) ग्रामीण विकास विभाग:- प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मनरेगा में दिव्यांगजनों को 4 प्रतिशत जॉब कार्ड दिया जा रहा है तथा कैजुअल लेवर जो दिव्यांगजन नहीं कर सकते है उनसे उनकी शारिरीक दक्षता के अनुरूप काम लिया जा रहा है। मनरेगा में दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये जायें तथा उनके जॉब कार्ड में उनकी व्यक्तिगत क्षमता के अनुरूप किये जा सकने वाले कार्यों को उल्लेखित किया जाय।

(vii) पंचायती राज विभाग:- पंचायतों में दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण पंचयती राज विभाग द्वारा कराने का निदेश अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया। मानसिक मंदता एवं ऑटिज्म से पीड़ित दिव्यांग बच्चे प्रायः सर्वेक्षण में छूट जाते हैं, जिन्हें सर्वेक्षण के क्रम में विशेषकर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को भी सर्वेक्षण में अचूक रूप से शामिल किये जाने का निदेश दिया गया ।

(viii) उद्योग विभाग:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु दिव्यांगजनों को उद्योग विभाग द्वारा सहायता के रूप में **11.7** प्रतिशत **Subsidiary** दिये जाने के प्रावधान को सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

(ix) नगर विकास एवं आवास विभाग:- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्र में सारा नियंत्रण नगर विकास का है। स्मार्ट सिटी की प्लानिंग में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता/बाधा रहित परिसर/वातावरण का प्रावधान सुनिश्चित किया जाय। अपर मुख्य सचिव द्वारा शहरी क्षेत्र के फुटपाथ को दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाने का निदेश दिया गया।

(x) सूचना प्रावैधिकी विभाग:- अपर मुख्य सचिव द्वारा विभागों की बेवसाईट की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि किसी भी विभाग का बेवसाईट दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल **(Disabled Friendly)** नहीं है। जिसे सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार दिव्यांगजनों हेतु वेबसाइट को सुगम्य **(Disabled Friendly)** बनाने का निदेश दिया गया है। सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा वेबसाईट बनायी जा रही है। इसलिए बैठक में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भी सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।

अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि वेबसाईट बनाने कीं जिम्मेवारी सूचना प्रावैधिकी विभाग की है। इस संबंध में सूचना प्रावैधिकी विभाग के स्तर से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के साथ बैठक आयोजित कर समन्वय स्थापित करते हुए सभी विभागो के बेवसाईट को **Disabled Friendly** किये जाने का निदेश दिया गया। इस क्रम में **Touch Text, Colour** एवं **Font** का विशेष ध्यान रखा जाय।

(xi) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागः- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि इनके अधीन संचालित सभी संस्थाएँ दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य है। उच्च शिक्षा में छात्रवृति दिये जाने का सुझाव दिया गया। यह भी अवगत कराया गया कि +2 स्तर तक छात्रवृति शिक्षा विभाग द्वारा दी जा रही है। +2 स्तर के बाद तकनीकी शिक्षा यथा- बी0टेक, एम0टेक इत्यादि के लिए छात्रवृति का प्रावधान किया जाना चाहिए। इस हेतु छात्रवृति योजना बनाने का सुझाव अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया गया।

(xii) कला संस्कृति एवं युवा विभागः- जाकार्ता में आयोजित तृतीय एशियन पैरालम्पिक्स गेम के मेडल विजेतागण को अबतक सम्मानित नहीं किया गया है। खिलड़ियों का भारत में लैण्डिंग के समय ही प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। परन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी तक सम्मानित नहीं किया गया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किये जाने का प्रावधान है जिस पर अपर मुख्य सचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि किसी भी विजेता खिलाड़ी को सम्मान पाने के लिए इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। सिस्टम की इस जटिलता को समाप्त करते हुए इसे संशोधन किये जाने की जरूरत है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ तालमेल भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

(xiii) परिवहन विभागः- अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रथम चरण में 20 बसों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने का निदेश दिया गया। इन बसों में रैम्प/ लो-फ्लोर का प्रावधान करने के साथ-साथ ब्हील चेयर रखने का भी प्रावधान किया जाय। बस के प्रथम गेट के सामने की सीट दिव्यांजनों के लिए रिजर्व रखा जाय जिस पर साईनेज लगा हो। बस स्टॉप को भी दिव्यांगजनों हेतु सुगम्य बनाया जाय।

वर्तमान में संचालित बसों को **Disabled Friendly** बनाया जाय या **Disabled Friendly** नये बसों का संचालन किया जाय। दिव्यांगजनों के लिए एक अटेन्डेंट के साथ बस पास **Allow** करने का निदेश दिया गया। जिसमें 50 किलोमीटर तक दूरी के लिए दिव्यांगजनों को उनके अटेन्डेंट के साथ निःशुल्क यात्रा तथा 50 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर उनके अटेन्डेंट के लिए 50 प्रतिशत भाड़े में रियायत दिया जाय।

परिवहन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कम से कम एक और वर्ष के लिए दिव्यांगजनों हेतु रियायती टिकट की राशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया।

(xiv) अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी विभाग को यूनिकोड/मंगल फॉण्ट का प्रयोग किये जाने संबंधी राज्य के मुख्य सचिव स्तर से निर्गत पत्र का स्मरण कराते हुए सुझाव दिया गया कि सभी विभाग इसका अनुपालन सुनिश्चित करें जिससे की कोई भी दृष्टिबाधित व्यक्ति **Text /Screen Reader Software** की मदद से इसे पढ़ सके।

माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी संबंधित विभागों को राज्य सलाहकार बोर्ड की इस बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संबंधित विभागों को अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

कार्यवाही प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

सदस्य सचिव,
राज्य सलाहकार बोर्ड-निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तिकरण
निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक/-2/सा0सु0-वि0यो0-08/2017 (खण्ड) स.क-175 पटना, दिनांक-27/02/19
प्रतिलिपिः- श्री तनवरी अख्तर, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद्, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-08/2017 (खण्ड) स.क-175 पटना, दिनांक-27/02/19
प्रतिलिपिः-अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-08/2017 (खण्ड) स.क-175 पटना, दिनांक-27/02/19
प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ वित्त विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग/ उद्योग विभाग/ श्रम संसाधन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ विज्ञान एवं प्रावैधिकी/सूचना प्रावैधिकी विभाग/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग/ परिवहन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-08/2017 (खण्ड) स.क-175 पटना, दिनांक-27/02/19
प्रतिलिपिः- बक्सर जिला के प्रतिनिधि- जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण-सह-सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक-2/सा0सु0-वि0यो0-08/2017 (खण्ड) स.क-175 पटना, दिनांक-27/02/19
प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक